न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 84 / 2017

1. अभय चौधरी पुत्र सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. दयावन्ती पत्नी सिद्ध कुमार जाति जाट निवासी 1 च बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
2. विजय लक्ष्मी पत्नी भजनलाल जाति जाट निवासी चक 1 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 16.05.2017 ।

उपस्थितिः—

श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलांट।

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता ।

श्री विरेन्द्र सिहाग अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

निर्णय **दिनांक :— 22.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण /वादीगण / अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212

22/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 46 मु.न. 2 के कि.न. 1, 2, 8 से 14, 16 से 25 की 3.64 है. मु.न. 36 कि.न. 11 से 19की 2.405 है. मु.न. 41 के कि.न. 4, 5, 13, 19, 23 की 1.075 है. व मु.न. 50 के कि.न. 3 से 13, 18 , 23 से 25 की 3.72 है. मु.न. 64/19 में 0.05 है. खाल कुल 11.11 है. भूमि वादीगण व प्रतिवादी की संयुक्त खाता में दर्ज है। वादीया के पति व वादी सं.1 के पिता के नाम से चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 70/60 के मु.न. 23 व मु.न. 24 में 3.795 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । सिद्धकुमार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र व पत्नी हकदार थे । सिद्ध कुमार की मृत्यु के पश्चात इन्तकाल तीनों के नाम दर्ज हो गया । प्रतिवादी सं. 2 के नाम से जो इन्तकाल दर्ज हुआ है वह प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी सं.2 काफी वृद्ध है एवं कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर भूमि को बेचान करने की फिराक में है जबकि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार है । यदि वाद के निर्णय से पूर्व का किसी प्रकार से से हस्तान्तरण हो जाता है तो वादीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह विवादित भूमि को रहन बेय नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

अप्रार्थी ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि भजनलाल की स्वंअर्जित सम्पति है इसलिए प्रार्थीगण का इस भूमि में कोई हक नहीं बनता है। दयावंती का मृतक सिद्धकुमार से तलाक हो चुका है इसलिए प्रार्थीगण भजनलाल की भूमि में कोई हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीया विवादित भूमि की

22/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावें।

सुनवाई करने के पश्चात सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने दिनांक 16.05.2017 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने अधी.न्यायालय में वाद एवं धारा 212 आरटीए के प्रा.पत्र पेश किया । विवादित भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक सम्पति होने के कारण हक व हिस्सा बनता हैं । यदि वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण हो जाता है तो वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा । प्रार्थीगण का हर प्रकार से मामला बनता था किन्तु अधी.न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. विवादित भूमि की अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । इसके अलावा विवादित भूमि भजनलाल की स्वंअर्जित सम्पति है । अपीलांट का इसमें कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

22/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपील अधी.न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 16.05.2017 के विरूद्ध पेश की है। अधी.न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया । अधी.न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों **Ingridients** यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपरिमित क्षति का विवेचन वादीगण/ अपीलार्थीगण के विरूद्ध कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

दौराने बहस अपीलांट अभिभाषक द्वारा स्वीकार किया है कि रेस्पो. रेकार्डेड खातेदार है कब्जा भी रेस्पो. के पास है। अतः अपील में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना बौधिक नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

22/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर